# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना,** आई.ए.एस.

---

प्र.सं. 23 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 530

मनजीत सिंह, पत्राचार पत– 1–बी–7 सुखाडिया नगर, नजदीक आदर्श नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर

बनाम

**नायब तहसीलदार मुकलावा**

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 19.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होने पर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा कुल 13 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी, उप तहसीलदार, समेजा कोठी रायसिंहनगर द्वारा अपने प्रत्येक बिन्दू के उत्तर में निजी ट्रस्ट होने के कारण चाही गयी सूचना आर.टी.आई. अधिनियम के तहत देय नहीं हैं, का बहाना बनाकर प्रार्थी को गुमराह करना, सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना करना व राज्य कर्मचारी होने के कर्तव्यों की पालना न करना प्रतीत होता हैं क्योंकि शहीद नगर गुरूद्वारा साहिब बुढा जोहड ट्रस्ट राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, जिसका उप तहसीलदार समेजा कोठी, रायसिंहनगर को पूर्ण ज्ञान हैं। नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर नायब तहसीलदार, मुकलावा से टिप्पणी / जवाब तलब किया गया। उप तहसीलदार मुकलावा के द्वारा पत्रांक / 271 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि उक्त ट्रस्ट एक निजी ट्रस्ट है इस कारण उक्त आरटीआई का जवाब / सूचना दी जानी सम्भव नहीं है, उक्त आरटीआई के संबंध में श्री मनजीत सिंह, उप तहसीलदार समेजा (तत्कालीन प्रशासक शहीद नगर गुरूद्वारा साहिब बुढाजोहड़) को जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे तो उचित होगा, निवेदन किया। उप तहसीलदार, समेजा कोठी से जवाब / टिप्पणी प्राप्त की गयी। उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा अपने पत्रांक / सूकाअ 2005 / 2024 / 70 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन उप तहसीलदार मुकलावा को प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। उपतहसीलदार मुकलावा के द्वारा पत्र प्रेषित कर सूचना भिजवाने हेतु लिखा जाने पर पूर्व में 13 बिन्दूओं की सूचना तैयार कर कार्यालय के पत्रांक / सूकाअ2005 / 2023 / 396 से 398 के द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित करते हुए उप तहसीलदार मुकलावा व प्रार्थी को चाही गई सूचना बिन्दूवार प्रेषित कर दी गई थी।

अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। बहस अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन हैं कि अपीलार्थी द्वारा शहीदनगर गुरूद्वारा बुढढा जोहड़ से संबंधित सूचना चाही गयी है, जो सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर से राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास हैं। निजी ट्रस्ट नहीं हैं। प्रत्यर्थी उप तहसीलदार समेजा कोठी उक्त पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट का प्रशासक नियुक्त हैं। इसलिए वे सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कानूनन उत्तरदायी हैं। अपील स्वीकार कर निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश देने और सूचना का अधिकार सरलता से लागू करने व सूचना देने से जानबूझकर अंकार करने की निष्पक्ष व सही जांच करके उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468, 471 के जुर्म में पुलिस थाना रायसिंहनगर में एफआईआर दर्ज करायी जावे।

अपीलार्थी के विपरीत उपतहसीलदार [illegible] कोठी [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि शहीद नगर गुरूद्वारा साहिब बुढडा जोहड नि[illegible] ट्रस्ट [illegible] के कारण चाही गयी सूचना दिया आर.टी.आई. अधिनियम के तह[illegible] गया हैं कि अपीलार्थी को इस संबंध में पूर्व में [illegible] करने के लिए निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:25 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसा[illegible]

"public authority" means any authority or body or institution of self- government established or constituted—

(a) by or under the Constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislature;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any—

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(i) body owned, controlled or substantially financed;
(ii) non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा शहीद नगर गुरूद्वारा बुढा जोहड़ देवस्थान विभाग के द्वारा पंजीकृत संस्था हैं के आधार पर उप तहसीलदार समेजा कोठी से शहीद नगर गुरूद्वारा बुढा जोहड़ से संबंधित वांछित सूचनाएं प्रदान करने की अपेक्षा की गयी हैं। उपतहसीलदार समेजा कोठी द्वारा शहीद नगर गुरूद्वारा बुढा जोहड़ निजी ट्रस्ट होने का अंकित करते हुए सूचना देय नहीं होने का अंकित करते हुए आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित कर आवेदक को इसकी सूचना प्रेषित की गयी हैं। अतः चूंकि शहीद नगर गुरूद्वारा बुढा जोहड़ लोक सूचना अधिकारी नियंत्रण में नहीं हैं, इस कारण उनसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:45:25 IST
Reason: SelfAttested